जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना किरतपुर **दिनांक 15.05.2025**

स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 114/25 धारा 70(1)/351(2)/115(2) बीएनएस व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व 67A आईटी एक्ट में 02 वांछित अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड में किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 14.05.2025 को वादिया ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि दिनाक 10.05.2025 को जब वह अपने मंगेतर के साथ बात कर रही थी, इसी दौरान वंहा पर 1.नितिन पुत्र विरेन्द्र सिंह, 2.लवीश पुत्र धीरेन्द्र, 3.बाली पुत्र राजे उर्फ राजाराम निवासीगण ग्राम गाजीपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ आ गए तथा उसे रोककर उसके साथ गलत कार्य किया और वीडियो वायरल कर दी तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 114/25 धारा 70(1)/351(2) बीएनएस व धारा 67(a) आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 115(2) बीएनएस व धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट की वृद्धि की गई।

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 114/25 धारा 70(1)/351(2)/115(2) बीएनएस व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व 67A आईटी एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तगण 1.लवीश पुत्र धीरेन्द्र, 2.बाली पुत्र राजे उर्फ राजाराम निवासीगण ग्राम गाजीपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम मे अभियुक्तगण आशु, रोबिन व सुमित के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 15.05.2025 को थाना किरतपुर पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना किरतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 114/25 मे वांछित अभियुक्त नितिन व आशु उपरोक्त ग्राम चांडकतुर्क उर्फ चिडियापुर अंडरपास से निकलने वाले है। इस सूचना पर थाना किरतपुर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबन्दी कर अभियुक्तगण को पकडने का प्रयास किया गया तो अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग के दौरान एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसे मौके पर ही घायल अवस्था में पुलिस हिरासत मे लिया गया तथा घायल अभियुक्त के दूसरे साथी को पुलिस टीम द्वारा पीछा कर पकड लिया गया।

घायल अभियुक्त ने अपना नाम नितिन पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गाजीपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर बताया तथा इसके दूसरे साथी ने अपना नाम आशु पुत्र कल्लू निवासी ग्राम गाजीपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर बताया। अभियुक्तगणों के कब्जे से 02 अवैध तमंचे 315 बोर मय 03 खोखा व 03 जिंदा कारतूस 315 बोर व एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में थाना किरतपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

1. नितिन पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गाजीपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2. आशु पुत्र कल्लू निवासी ग्राम गाजीपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

1- एक मोबाइल फोन (अभियुक्त नितिन से बरामद)

2- 02 अवैध तमंचे 315 बोर मय 03 खोखा व 03 जिंदा कारतूस।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नितिन उपरोक्त –

मु0अ0सं0 114/25 धारा 70(1)/351(2)/115(2) बीएनएस व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व 67A आईटी एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आशु उपरोक्त –

मु0अ0सं0 114/25 धारा 70(1)/351(2)/115(2) बीएनएस व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व 67A आईटी एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

पुलिस टीम का विवरण –

श्री सचिन मलिक, प्रभारी स्वाट मय टीम जनपद बिजनौर।

श्री योगेश कुमार, प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद बिजनौर।

श्री वीरेन्द्र कुमार, थाना प्रभारी किरतपुर मय टीम जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना नूरपुर **दिनांक- 15.05.2025**

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को चोरी की गयी 06 बैटरियों सहित किया गया गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.05.2025 को वादी दिलशाद उर्फ भूरे पुत्र महबूब खां निवासी रहटा बिल्लौच थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त नदीम पुत्र रहीस निवासी मौ0 कुरेशियान थाना कोतवाली शहर जनपद अमरोहा वादी की गाडी से 01 पैकेट(18 KTH मार्का की 06 बैटरी) को चोरी करके भाग रहा था,जिसे वादी व उसके साथी द्वारा मौके से पकडकर थाना नूरपुर पर लाया गया।

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त नदीम उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 166/25 धारा 303(2)/317(2) पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नदीम पुत्र रहीस निवासी मौ0 कुरैशियान थाना कोतवाली शहर जनपद अमरोहा

बरामदगी विवरण-

01 पैकेट(18 KTH मार्का की 06 बैटरी)

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना किरतपुर **दिनांक 15.05.2025**

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 114/25 धारा 70(1)/351(2)/115(2) बीएनएस व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व 67A आईटी एक्ट वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 14.05.2025 को वादिया ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि दिनाक 10.05.2025 को जब वह अपने मंगेतर के साथ बात कर रही थी, इसी दौरान वंहा पर 1.नितिन पुत्र विरेन्द्र सिंह, 2.लवीश पुत्र धीरेन्द्र, 3.बाली पुत्र राजे उर्फ राजाराम निवासीगण ग्राम गाजीपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ आ गए तथा उसे रोककर उसके साथ गलत कार्य किया और वीडियो वायरल कर दी तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 114/25 धारा 70(1)/351(2) बीएनएस व धारा 67(a) आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 115(2) बीएनएस व धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट की वृद्धि की गई।

कार्यवाही –

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 114/25 धारा 70(1)/351(2)/115(2) बीएनएस व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व 67A आईटी एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तगण 1.लवीश पुत्र धीरेन्द्र, 2.बाली पुत्र राजे उर्फ राजाराम निवासीगण ग्राम गाजीपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के कब्जे से 02 मोबाइल फोन व घटना के समय वादिया द्वारा पहने हुए कपडे बरामद किये गए। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तो से की गई पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आये कि दिंनाक 10.05.2025 की रात्रि में अभियुक्तगण बाली व लवीश अपने तीसरे साथी आशु के साथ बाली के घर की छत पर लेटे थे तभी वहीं पर पीपल के पेड के पास बाईक पर एक लडका आया। दोनो अभियुक्तगण अपने तीसरे साथी आशु के साथ उक्त लडके का पीछे करने गए तथा इसी दौरान उन्होने अपने अन्य तीन साथीगण नितिन, रोबिन व सुमित को भी वहीं पर बुला लिया। वे सभी उक्त लडके को तलाश करते हुए एक जगह पहुंचे जहां पर उक्त लडका व एक लडकी (वादिया) मौजूद मिले, उनके द्वारा उक्त लडके के साथ मारपीट की गई तथा उक्त लडके व लडकी की आशु ने अभियुक्त लवीश के मोबाईल से विडियो बना ली और उसे रोबिन के व्हाटसएप्प पर भेज दिया। इसके उपरान्त अभियुक्तगण लवीश व बाली उपरोक्त तथा इनके साथी नितिन द्वारा लडकी के साथ गलत कार्य किया गया तथा उक्त लडके व लडकी (वादिया) को इस संबंध मे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए।

नोट- अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम मे अभियुक्तगण आशु, रोबिन व सुमित के नाम प्रकाश मे आये है। शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

1.लवीश पुत्र धीरेन्द्र निवासी ग्राम गाजीपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

2.बाली पुत्र राजे उर्फ राजाराम निवासी ग्राम गाजीपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

1.एक मोबाइल फोन सैमसंग रंग नीला (लवीश उपरोक्त)

2.एक मोबाइल फोन ओप्पो रंग लाल (बाली उपरोक्त)

3.वादिया द्वारा घटना के समय पहने हुए कपडे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. थानाध्यक्ष श्री विरेन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 श्री रोबिन कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3. मुख्य आरक्षी 270 अनुराग कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
4. मुख्य आरक्षी 618 सन्नीराज थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
5. आरक्षी 2171 प्रवेन्द्र तोमर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना कोतवाली शहर **दिनांक 15.05.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा चोरी की 04 घटनाओं का अनावरण करते हुए हिस्टीशीटर अभियुक्त को चोरी किये गए 02 एलपीजी सिलेन्डर, आभूषण व नगदी सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही विवरण –

जनपद मे अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त शमशाद पुत्र इरशाद नि0 ग्राम खारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को चोरी किये गए 02 एलपीजी सिलेन्डर, एक जोडी पायल व एक चौकोरा (सफेद धातु), एक जोडी बिछुआ (पीली धातु) व 9000/- रूपये की नगदी सहित गिरफ्तार किया।

अभियुक्त से बरामद दो सिलेन्डरो की चोरी के संबंध मे थाना कोतवाली शहर मु0अ0सं0 107/25 व मु0अ0सं0 342/25 तथा बरामद एक जोडी पायल, एक चौकोरा (सफेद धातु) व बरामद 5000 रूपये की नगदी के संबंध मे थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 30/25 पंजीकृत है तथा बरामद शेष दो-दो हजार रूपयो की नगदी के संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 366/25 व मु0अ0सं0 194/25 पंजीकृत है। बरामदगी के आधार पर अनावरण हुए चारो अभियोगो मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।

नोट- अभियुक्त शमशाद उपरोक्त थाना हल्दौर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी (हिस्ट्रीशीटर सं0 10ए) है जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानो पर चोरी/डकैती/गुण्डा/गैंगस्टर आदि गंभीर धाराओ मे करीब 03 दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त शमशाद पुत्र इरशाद नि0 ग्राम खारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

02 एलपीजी सिलेन्डर, एक जोडी पायल व एक चौकोरा (सफेद धातु), एक जोडी बिछुआ (पीली धातु) व 9000/- रूपये की नगदी

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 1178/09 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना हल्दौर बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 214/11 धारा 323,325,427,504 भादवि थाना हल्दौर बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 232/11 धारा 324,393, भादवि थाना हल्दौर बिजनौर।
4. मु0अ0सं0 307/11 धारा 380,411,457 भादवि थाना नगीना बिजनौर।
5. मु0अ0सं0 680/11 धारा 460,411 भादवि थाना को0 शहर बिजनौर।
6. मु0अ0सं0 61/12 धारा 110 गुण्डा एक्ट थाना हल्दौर बिजनौर।

7. मु0अ0सं0 331/12 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना हल्दौर बिजनौर।
8. मु0अ0सं0 358/12 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना हल्दौर बिजनौर।
9. मु0अ0सं0 500/13 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना हल्दौर बिजनौर।
10.मु0अ0सं0 448/16 धारा 394,411, भादवि थाना हल्दौर बिजनौर।
11.मु0अ0सं0 489/16 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना हल्दौर बिजनौर।
12.मु0अ0सं0 8/17 धारा 380,411,457 भादवि थाना को0 शहर बिजनौर।
13.मु0अ0सं0 18/17 धारा 3/25ए आर्मस एक्ट थाना हल्दौर बिजनौर।
14. मु0अ0सं0 428/17 धारा 380,411 भादवि थाना को0 शहर बिजनौर।
15. मु0अ0स0 585/17 धारा 380,411,454 भादवि थाना को0 शहर बिजनौर।
16. मु0अ0सं0 702/17 धारा 380,411 भादवि थाना को0 शहर बिजनौर।
17. मु0अ0सं0 738/17 धारा 380,411,457 भादवि थाना को0 शहर बिजनौर।
18.मु0अ0सं0 836 /17धारा 307,34 भादवि थाना को0 शहर बिजनौर।
19.मु0अ0सं0 838/17 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना को0 शहर बिजनौर।
20.मु0अ0सं0 978/17 धारा 2/3 गैगंस्टर एक्ट थाना को0 शहर बिजनौर।
21.मु0अ0सं0 353/18 धारा 379,411,356 भादवि थाना नजीबाबाद बिजनौर।
22.मु0अ0सं0 436/18 धारा 307 भादवि थाना नजीबाबाद बिजनौर।
23.मु0अ0सं0 437/18 धारा 25 आर्मस एक्ट थाना नजीबाबाद बिजनौर।
24.मु0अ0सं0 143/19 धारा 2/3 गैगंस्टर एक्ट थाना नजीबाबाद बिजनौर।
25.मु0अ0सं0 128/22 धारा 401 भादवि थाना चांदपुर बिजनौर।
26.मु0अ0सं0 129/22 धारा 4/ 25 आर्मस एक्ट थाना चांदपुर बिजनौर।
27. मु0अ0सं0 30/25 धारा 305,317(2) बीएनएस थाना को0 शहर बिजनौर।
28. मु0अ0सं0 107/25 धारा 305(ए),317(2) बीएनएस थाना को0 शहर बिजनौर।
29. मु0अ0सं0 194/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 शहर बिजनौर।
30. मु0अ0सं0 342/25 धारा 305(ए),317(2) बीएनएस थाना को0 शहर बिजनौर।
31. मु0अ0सं0 366/25 धारा 305(ए) 317(2) बीएनएस थाना को0 शहर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 प्रवीण कुमार जादौन थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 विनोद शर्मा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
3. हे0का0 712 संदीप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
4. का0 2434 लोकेश कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
5. का० 1797 सन्दीप कुमार थाना को० शहर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 15.05.2025**

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.05.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	चांदपुर	इरशाद पुत्र सगीर निवासी ग्राम महमूदपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2	चांदपुर	सगीर पुत्र यासीन निवासी ग्राम महमूदपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3	चांदपुर	बलवीर सिंह पुत्र प्रेमा निवासी ग्राम महमदाबाद थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
4	चांदपुर	राजीव पुत्र मूलासिंह निवासी ग्राम वीरोपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।
5	चांदपुर	शौकत पुत्र अल्लादिया निवासी मौ0 शाहचन्दन कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।
6	अफजलगढ	बृहमपाल पुत्र होरी सिंह नि0 ग्राम अलियारपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
7	अफजलगढ	ससिया उर्फ सतपाल पुत्र रोशन सिंह नि0 ग्राम महसनपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
8	नगीना देहात	मुकीम पुत्र युसुफ निवासी सरफुद्दीनगर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–जनपद बिजनौर दिनॉक 15.05.2025

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में 24वें हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

कार्यवाही:–

दिनांक 02.05.2020 को थाना शिवाला कलां पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सलमान पुत्र सबरे निवासी ग्राम लोदीपुर मिलक थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर को 01 किग्रा0 डोडा चूर्ण सहित गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में थाना शिवाला कलां पर मु0अ0सं0 55/20 धारा 08/18 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 15.05.2025 को माननीय न्यायालय A.D.J - 04, जनपद बिजनौर द्वारा हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त सलमान पुत्र सबरे निवासी ग्राम लोदीपुर मिलक थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर को धारा 08/15(बी) एनडीपीएस एक्ट में 03 वर्ष के कठोर कारावास व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि **अभियुक्त सलमान पुत्र सबरे निवासी ग्राम लोदीपुर मिलक थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर थाना शिवाला कलां का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त (हिस्ट्रीशीट संख्या 17A) है, जिसके विरुद्ध थाना नूरपुर व थाना शिवाला कलां पर चोरी, गैंगस्टर अधिनियम, आयुध अधिनियम व गौवध अधिनियम के करीब 08 अभियोग पंजीकृत है।**

नोट – हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों को अधिकाधिक सजा से दण्डित कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **24 वें हिस्ट्रीशीटर को दण्डित कराया गया।**

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

1- हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त सलमान पुत्र सबरे निवासी ग्राम लोदीपुर मिलक थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर **(हिस्ट्रीशीट सं0 17A)**

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना हल्दौर **दिनांक-15.05.2025**

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 108/2025 धारा 103(1)/115(2)/352/3(5)/131 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.04.2025 को अभियुक्तगण 1.राहुल पुत्र आनन्दपाल 2.हरदीप पुत्र आनन्दपाल 3.दिव्यांशू पुत्र हरदीप समस्त निवासीगण ग्राम सुमालखेडी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा एक राय होकर यशपाल सिंह पुत्र होरी सिंह निवासी उपरोक्त के साथ गाली-गलौच करते हुए लाठी-डन्डों से मारपीट की गयी, जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गया तथा उपचार के दौरान यशपाल उपरोक्त की मृत्यु हो गयी।

इस संबंध में दिनांक 28.04.2025 को वादिनी श्रीमति अंजू देवी पत्नी यशपाल निवासी ग्राम सुमालखेडी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा थाना हल्दौर पर तहरीर दी गयी तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0स0 108/25 धारा 108/2025 धारा 103(1)/115(2)/352/3(5)/131/351(3) बीएनएस बनाम राहुल आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया है।

नोट- थाना हल्दौर पुलिस द्वारा नामित अभियुक्त हरदीप व राहुल पुत्रगण आनन्दपाल निवासी ग्राम सुमालखेडी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को पूर्व मे ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही का विवरण

आज दिनांक 15.05.2025 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त दिव्यांशु पुत्र हरदीप निवासी ग्राम सुमालखेडी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दिव्यांशु पुत्र हरदीप निवासी ग्राम सुमालखेडी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार बैंसला थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

2.का0 1550 कुलदीप थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट –थाना कोतवाली शहर दिनांक – 15.05.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 405/25 धारा 109(1)/115(2)/118(1)/132/352 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.05.2025 को वादी श्री नितिन कुमार पुत्र सतीश कुमार गुलेरिया निवासी मौ0 नई बस्ती, विद्युत उपकेन्द्र आवास विकास कॉलोनी कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि वह विद्युत विभाग में टी0जी0-2 के पद पर कार्यरत है। दिनांक 13.05.2025 को अभियुक्त हुक्म सिहं पुत्र रुपचन्द्र उर्फ मुन्नु निवासी मौ0 जाटान कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए वादी व वादी के सहकर्मी के साथ बिजली का बिल जमा न करने को लेकर गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा धारधार हथियार से वार उन्हे घायल कर दिया।

इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 405/25 धारा 109(1)/115(2)/118(1)/132/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 15.05.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त हुक्म सिहं पुत्र रुपचन्द्र उर्फ मुन्नु निवासी मौ0 जाटान कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

हुक्म सिहं पुत्र रुपचन्द्र उर्फ मुन्नु निवासी मौ0 जाटान कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 सुशील कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.का0 2595 सुमित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.का0 119 अरशद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना बढापुर दिनांक- 15.05.2025

थाना बढापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही विवरण-

थाना बढापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त मनीष पुत्र सुभाष निवासी ग्राम सादातपुर गढ़ी थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 76/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मनीष पुत्र सुभाष निवासी ग्राम सादातपुर गढ़ी थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

एक अवैध तमंचा 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री सिनोद कुमार थाना बढापुर जनपद-बिजनौर
2.है0कां0 812 सुमित पंवार थाना बढापुर जनपद-बिजनौर
3.हे0का0 354 हरेन्द्र मलिक थाना बढापुर जनपद-बिजनौर
4.का0 2275 विमल थाना बढापुर जनपदबिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना चांदपुर **दिनांक 15.05.2025**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 232/25 धारा 191(2)/190/333/115(2)/117(2)/109(1)/351(3) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 26.04.2025 को वादी श्री जुल्फकार पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम अकबरपुर झोझा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 25.04.2025 को शाम के समय गांव के ही अभियुक्तगण 1- गुलफाम 2- राशिद 3- खालिद पुत्रगण किफैत 4- कुरबान पुत्र बदलू 5- रिजवान पुत्र कुरबान द्वारा वादी के पुत्र, पत्नी व भाईयो को साथ लाठी डंडो से जान से मारने की नियत से मारपीट की गयी, जिससे वादी के भाई के हाथ में फ्रैक्चर, पत्नी के हाथ में चोट तथा बेटे के सिर में गंभीर चोट आई। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 232/25 धारा 191(2)/190/333/115(2)/117(2)/109(1)/351(3) बीएनएस बनाम गुलफाम आदि 05 नफर पंजीकृत किया गया।

नोट- दिनांक 27.04.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त राशिद पुत्र किफैत निवासी ग्राम अकबरपुर झोझा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही –

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों गुलफाम पुत्र किफैत व रिजवान पुत्र कुरबान निवासीगण ग्राम अकबरपुर झोझा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

1.गुलफाम पुत्र किफैत निवासी ग्राम अकबरपुर झोझा थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।
2.रिजवान पुत्र कुरबान निवासी ग्राम अकबरपुर झोझा थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 329/22 धारा 279/304(A) भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 232/25 धारा 191(1)/190/333/115(2)/117(2)/109(1)/351(3) बीएनएस थाना चाँदपुर,बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 शादाब खान थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।
2- मुख्य आरक्षी धर्मेन्द्र सिंह थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।
3- मुख्य आरक्षी राहुल कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।
4- आरक्षी आकाश कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 15.05.2025**

थाना धामपुर पुलिस ने चोरी की घटना का अनावरण करते हुए पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर चोरी की गयी नगदी / मोटरसाइकिल व घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र बरामद किया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.04.2025 को वादी श्री उदित शर्मा पुत्र विजयपाल शर्मा निवासी शिव विहार कॉलोनी कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 12.04.2025 को वादी के घर के गेट का ताला तोडकर नगदी व कुछ सोने एवं चांदी के आभूषण चोरी कर लेने के सम्बंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 132/25 धारा 331(4) / 305(a) पंजीकृत कराया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में अभियुक्तगण 1.इरफान उर्फ इमरान पुत्र शेरा निवासी गड्ढा कॉलोनी कस्बा व थाना काशीपुर जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड व 2.नाहिद पुत्र ताहिर निवासी मौ0 अल्ली खां निकट हाता मस्जिद कस्बा व थाना काशीपुर जनपद उधम सिंह नगर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

दिनांक 14/15.05.2025 की रात्रि में थाना धामपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सरकथल सानी की तरफ से 02 बदमाश एक मोटर साईकिल पर सवार होकर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में आ रहे है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर चेकिंग शुरु की गयी तो कुछ देर बाद राम गंगा पोषक नहर की पटरी पर ग्राम सरकथल सानी की ओर से एक मोटर साईकिल आती दिखाई दी, जिसे नजदीक आने पर पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल के रास्ते से भाग गया। पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम इरफान उर्फ इमरान पुत्र शेरा निवासी गड्ढा कॉलोनी कस्बा व थाना काशीपुर जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड बताया तथा फरार अभियुक्त का नाम नाहिद पुत्र ताहिर निवासी मौ0 अल्ली खां निकट हाता मस्जिद कस्बा व थाना काशीपुर जनपद उधम सिंह नगर बताया।

अभियुक्त के कब्जे से चोरी किये गये 35,000 /- रुपये, एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस, मोटरसाइकिल (बिना नंबर प्लेट) बरामद की गयी। बरामद स्पलेन्डर मोटरसाइकिल अभियुक्तों द्वारा जनपद मुरादाबाद के थाना पाकबडा क्षेत्र से करीब डेढ माह पूर्व चोरी की गयी थी। अभियुक्त इरफान शातिर किस्म का अंतर्राज्यीय अपराधी है, जिसके विरुद्ध उत्तराखण्ड एवं बिजनौर (उ0प्र0) के विभिन्न थानों पर चोरी / नकबजनी / गैंगस्टर एक्ट में करीब 02 दर्जन अभियोग पंजीकृत है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतू जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मुठभेड के सम्बंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 181/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। फरार अभियुक्त नाहिद की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

बरामद मोटर साईकल हीरो होण्डा स्पलैण्डर (रंग काला, बिना नंबर प्लेट) को चेक किया गया तो मोटर साईकिल का वास्तविक नम्बर UP38Q0455 है तथा वाहन स्वामी का नाम कासिम पुत्र रियासत निवासी चांदबार पोस्ट ओवरी सम्भल जिला सम्भल प्रदर्शित हो रहा है। पंजीकृत वाहन स्वामी से वार्ता करने पर जानकारी की गयी तो बताया कि उसकी मोटर साईकिल करीब डेढ महीने पहले कस्बा पाकबडा जनपद मुरादाबाद से चोरी हुई थी।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ में घायल / गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उसने अपने साथी नाहिद के साथ मिलकर करीब 01 माह पहले कस्बा धामपुर में शिव विहार कालोनी में एक बन्द मकान का दरवाजे का ताला तोड़कर नगदी व कुछ सोने व चाँदी के जेवरात चोरी किये थे। नाहिद ने चोरी किया हुआ सोने चाँदी का सामान बेचकर तथा चोरी के रुपयो मे सें उसे 35,000 हजार रुपये दिये थे।

घायल / गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इरफान उर्फ इमरान पुत्र शेरा निवासी गड्ढा कॉलोनी कस्बा व थाना काशीपुर जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड

फरार अभियुक्त का नाम व पता –

नाहिद पुत्र ताहिर निवासी मौ0 अल्ली खां निकट हाता मस्जिद कस्बा व थाना काशीपुर जनपद उधम सिंह नगर

बरामदगी –

01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा व 01 जिंदा कारतूस

चोरी किये गये 35,000 /- रुपये

मोटर साईकल हीरो होण्डा स्पलैण्डर (बिना नंबर प्लेट)

अभियुक्त इरफान उर्फ इमरान का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 7/15 धारा 380,411 थाना कोतवाली काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर
2. मु0अ0सं0 24/15 धारा 454,380,411 भादवि थाना आई0टी0आई0 जनपद उधमसिंहनगर
3. मु0अ0सं0 24/15 धारा 454,380,411 थाना कोतवाली काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर
4. मु0अ0सं0 17/16 धारा 454,380,411 भादवि थाना गदरपुर जनपद उधमसिंहनगर
5. मु0अ0सं0 64/16 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कोतवाली रुद्रपुर जनपद उधमसिंहनगर
6. मु0अ0सं0 189/19 धारा 454,380,411 भादवि थाना कोतवाली रुद्रपुर जनपद उधमसिंहनगर
7. मु0अ0सं0 228/19 धारा 454,380,411 भादवि थाना कोतवाली रुद्रपुर जनपद उधमसिंहनगर
8. मु0अ0सं0 240/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली रुद्रपुर जनपद उधमसिंहनगर
9. मु0अ0सं0 460/19 धारा 380,454 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
10. मु0अ0सं0 28/20 धारा 380,457,411 भादवि थाना कोतवाली बाजपुर जनपद उधमसिंहनगर
11. मु0अ0सं0 372/22 धारा 454,380,34 भादवि थाना कोतवाली बाजपुर जनपद उधमसिंहनगर
12. मु0अ0सं0 389/22 धारा 454,380,411,34 भादवि कोतवाली बाजपुर जनपद उधमसिंहनगर
13. मु0अ0सं0 510/22 धारा 380,454,411 भादवि थाना रामनगर जनपद उधमसिंहनगर
14. मु0अ0सं0 250/22 धारा 380,454,34,414 भादवि थाना मुखानी जनपद उधमसिंहनगर
15. मु0अ0सं0 01/23 धारा 380,454,34,414 भादवि थाना मुखानी जनपद उधमसिंहनगर
16. मु0अ0सं0 54/23 धारा 457,380,411 थाना कोतवाली दिनेशपुर जनपद उधमसिंहनगर
17. मु0अ0सं0 220/24 धारा 380,454,411 भादवि थाना कोतवाली काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर
18. मु0अ0सं0 273/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर
19. मु0अ0सं0 192/24 धारा 380,411 भादवि थाना कोतवाली काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर
20. मु0अ0सं0 192/24 धारा 380,411,420,465,471 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
21. मु0अ0सं0 132/25 धारा 331(4)/305ए ,317(2) बीएनएस थाना धामपुर जनपद बिजनौर
22. मु0अ0सं0 181/25 धारा 109(1),3(5) ,317(2),317(5), BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.श्री राजेश कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना धामपुर जनपद बिजनौर मय टीम

2.निरीक्षक श्री सचिन मलिक प्रभारी स्वाट जनपद बिजनौर मय टीम

3.उ0नि0 श्री योगेश कुमार प्रभारी सर्विलांस जनपद बिजनौर मय टीम